भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *298
07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य सेवा संबंधी अवसंरचना को मजबूत करना

***298. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुरः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जहां बड़ी आबादी, विशेष रूप से नेपाल की सीमा से सटे पलिया ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों को अभी भी गंभीर रोगों के लिए चिकित्सा देखभाल हेतु लखनऊ और अन्य प्रमुख शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जिले में इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जिले को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त अंचल के बड़े भौगोलिक क्षेत्र को पर्याप्त रूप से कवर करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) की संख्या में वृद्धि करने और उन्हें चौबीसों घंटे चालू करने का है; और

(ङ) नवनिर्मित स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालय (एएसएमसी) को पूर्ण रूप से प्रचालित करने, वहां संकाय सदस्यों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने और इसे सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और अभिघात केन्द्र के रूप में उन्नयन/विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करने की सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 07 अगस्त, 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *298 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): "जन स्वास्थ्य" और "अस्पताल" राज्य के विषय हैं, इसलिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य सुविधाओं की योजना बनाने, उन्हें लागू करने, उनका रखरखाव करने और उनकी स्थापना करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन बजट के भीतर, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में पीआईपी को मंजूरी प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश के लिए आरओपी के तहत किए गए बजटीय आवंटनों का विवरण निम्नलिखित लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है:

https://www.nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=49&lid=62

स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), उप-जिला अस्पतालों (एसडीएच), जिला अस्पतालों (डीएच) को सुदृढ़ बनाने और टेलीमेडिसिन एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू), नि:शुल्क निदान सेवा पहल (एफडीएसआई), नि:शुल्क औषधि सेवा पहल (एफडीएसआई) आदि जैसी अन्य पहलों के माध्यम से विभिन्न उपायों को समर्थन दिया जाता है।

हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई), 2023-24 के अनुसार, लखीमपुर खीरी जिले में 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), 29 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 461 एएएम हैं, जिनमें से 4 सीएचसी, 7 पीएचसी और 8 एएएम नेपाल की सीमा से लगे जिले के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कार्यशील हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को फ्लेक्सिबल पूल के अंतर्गत एकमुश्त आधार पर निधियां जारी की जाती हैं, ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी आवश्यकता और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का उपयोग करने में अधिक स्वतंत्रता मिल सके। वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान एनएचएम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए जारी किये गए केंद्रीय अंश का विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	केंद्र द्वारा निर्गत राशि
2023-24	4928.14
2024-25	5853.43
2025-26	5686.12

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम) के तहत, लखीमपुर खीरी को 1 गहन परिचर्या ब्लॉक (सीसीबी), 1 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल), 10 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयां (बीपीएचयू), 10 शहरी-आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू-एएएम) और 130 भवन रहित उप स्वास्थ्य केंद्र -एएएम की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसमें नेपाल की सीमा से लगे जिले के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में 2 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयां (बीपीएचयू) और 16 भवन रहित उप स्वास्थ्य केंद्र -एएएम शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने हेतु लखीमपुर खीरी स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय (एएसएमसी) की स्थापना की गई है। संकाय सदस्यों की भर्ती के लिए नियमित रूप से विज्ञापन और साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। विशेषज्ञ परिचर्या की आवश्यकता वाले रोगियों का उपचार महाविद्यालय के विशेषज्ञ संकाय द्वारा किया जाता है और आपातकालीन परिचर्या के जरूरतमंद सभी रोगियों के लिए आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध हैं।
